

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


## प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के नाम सामने अंकित तिथि को निधन होने के कारण निधन दिनांक से इनकी राजकीय सेवा समाप्त की जाती है:-

क्र० सं०	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि श्री/सुश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1.	छीतरमल जाट कैरपुरा (सीकर)	प्रधानाध्यापक	15.07.58	31.12.17	31.12.17
2.	रजनी गुरबक्षानी, सिंधी देहली गेट, अजमेर	प्रधानाचार्य	15.11.65	29.12.17	29.12.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित लोकसेवको, के विरुद्ध आज तक:-

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/सेवासमाप्ति/2018 दिनांक : 31-1-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 02 संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 03 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर/न्यू,
- 04 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), - अजमेर/सिकल
- 05 संबंधित कोषाधिकारी,
- 06 संबंधित कार्मिक के आश्रित
- 07 संबंधित सरथा प्रधान
- 08 विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
- 09 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 10 प्रभारी बी-न/II कार्यालय हाजा
- 11 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर